(42)

माननीय सदस्य महोदय राजस्व मंण्डल ग्वालियर म0प्र0

PBR/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/6235 प्र0क0

1– गोपालसिंह पिता भैरूसिंह जी राजपुत आयु 55 वर्ष
2– सलामुदीन पिता शब्बीर मुसलमान आयु 30 वर्ष
निवासीगण मैरियाखेडी तह0 सीतामउ
जिला मंदसौर ....प्रार्थीगण / आवेदकगण

बनाम

1– शवा पिता मोती जाति बलाई निवासी हल्दुनी
हा0मु0 रातीखेडी तह0 दलौदा जिला मंदसौर
2– गुड्डीबाई पिता कन्हैयालाल जी मेहतर
निवासी मैरियाखेडी तह0 सीतामउ
जिला मंदसौर म0प्र0. ....प्रतिप्रार्थीगण / अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि० 21.12.17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10.1.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21.12.17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू– राजस्वं संहिता

अनुविभागिय अधिकारी सीतामउ जिला मंदसौर के अंतरिम आदेश दिनांक 22/11/2017 प्र0क0 अपील 121 अपील/15–16 (शवा विरूद्व सलामुदीन आदी) में धारा 5 अवधी विधान के आदेश के विरूद्व निम्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की और से पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र निम्नवत पेश है:–

प्रकरण का सक्षिप्त विवरण

1– यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि नामांतरण पंजी कंमाक 1 वर्ष 1992–93 आदेश दिंनाक 08/06/1992 नामांतरण पंजी अनुसार रेस्पाडेन्ट शवा पिता मोती बलाई निवासी मैरियाखेडी पुराने सर्वे कंमाक 353/1 का बंदोबस्त प्रश्चात नये सर्वे कंमाक 903/1 व 903/2 रहे। जो अपीलांट सलामदीन के पिता मृतक शब्बीर पिता खुदाबक्ष मुसलमान निवासी मैरियाखेडी का नाम शवा के स्थान पर राजस्व कागजाद में अंकित हुआ।

2– यह की शब्बीर का नाम राजस्व कागजाद में अंकित होने के पश्चात उक्त भूमि अपीलांट गोपालसिंह एंव प्रतिप्रार्थी गुड्डीबाई का नाम राजस्वं कागजाद में अंकित हुआ ।

3– यह कि उक्त नामांतरण पंजी के विरूद्व प्रतिप्रार्थी शवा ने 24 वर्ष पश्चात अपीलाण्टगण एंव प्रतिप्रार्थी गुड्डीबाई के विरूद्व अनुविभागिय अधिकारी महोदय सीतामउ के समक्ष एक अपील प्रकरण कंमाक 121/अपील/15–16 प्रस्तुत की तथा धारा 5 अवधी विधान का आवेदन प्रस्तुत किया जिसका निराककरण अनुविभागिय अधिकारी सीतामउ ने दिनांक 22/11/2017 को तर्क सुनकर उसी दिनांक 22/11/2017 को ही स्वीकार किया जिसके विरूद्व समयावधी में यह पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। दिनांक 22/11/2017 को धारा 5 अवधी विधान का आवेदन पत्र आदेश विधी विधान के विपरित होने से निम्न आधार पर प्रथम दृष्टि में ही निंरस्ती योग्य है।

पुनरीक्षण के आधार

1– यह कि प्रतिप्रार्थी शवा पिता मोती को 24 वर्ष पूर्व ही जानकारी थी की नामांतरण पंजी द्वारा मृतक शब्बीर का नाम राजस्व कागजाद में विधीवत दर्ज हुआ

निरन्तर पेज——2

गोपालसिंह/भावा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(57)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - PBR/नि/मंदसौर/भू.रा./17/6235 जिला - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधि. सीतामऊ के प्रकरण क्रमांक 121/अपील/15-16 में पारित आदेश दिनांक 22-11-17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, मंदसौर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को कलेक्टर, मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	